न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 118 / 2017 राजस्व अपील

1. श्रीनारायण पुत्र मूलचन्द नावरिया जाति खटीक निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

<u>अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.10.2017 मु.नं. 664 / 2017 सरकार बनाम श्रीनारायण, न्यायालय उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट</u>

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 02.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 0.10 है0 पर पुख्ता बाउन्ड्री का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.10.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है इसके

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कारोली तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 0.10 है0 पर पुख्ता बाउन्ड्री का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 03.10.2017 को अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर दौसा